न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 138/2017 (RCMS No.–2017/00201)

1. शकुर खां पुत्र श्री रहिम बक्श
2. शब्बीर पुत्र रहिम बक्श
3. अक्तर पुत्र शब्बीर
4. फूज पुत्र गफ्फूर
5. बबूदीन पुत्र अमीर खां
6. सुलेमान पुत्र अमीर खां

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. अब्दुल हकीम पुत्र श्री हबीब खां आयु 33 साल जाति मुसलमान, निवासी ग्राम पो0 ताला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत ताला जरिये सचिव पंचायत मुख्यालय ग्राम ताला, पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक महोदय, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...विपक्षीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व आज्ञा दिनांक 20.07.2001 ग्राम पंचायत ताला के द्वारा पट्टा मिसल संख्या 24 के अंतर्गत हबीब खां पुत्र छोटू खां को जारी पट्टे को निरस्त करवाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री बृजेश पारीक अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री दिनेश दत्त शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–एक की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 18.09.2018

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत ताला, पं.स. जमवारामगढ द्वारा विपक्षी/अप्रार्थी संख्या 1 के पिता हबीब खां पुत्र छोटू खां जाति मुसलमान, निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के पक्ष में मिसल संख्या 24 आदेश दिनांक 20.07.2001 द्वारा पट्टा जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.06.2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या एक की ओर से श्री दिनेश दत्त शर्मा उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के पत्रांक 180 दिनांक 20.09.2017 द्वारा निगरानीधीन मूल पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत में अनुपलब्ध होना बताया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वकील पक्षकारान द्वारा लिखित बहस पेश की गई। बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि

है। ग्राम पंचायत द्वारा सुस्थापित विधिक सिद्वान्तो की पालना किए बिना पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 का पुख्ता मकान दक्षिण की ओर पक्की सडक जयपुर प्रतापगढ रोड दर्शाकर जो निगरानीधीन पट्टा ग्राम पंचायत ताला से जारी करवाया गया है वह कानूनी प्रावधानों से विपरीत होने कारण निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत ताला द्वारा दिनांक 20.07.2001 मिसल संख्या 24 के अर्न्तगत जो पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता को जारी किया गया वह स्थल सार्वजनिक उपयोगिता के लिये पिछले 70–80 वर्षो से ग्रामवासियों एवं मवेशियों के उपयोगिता एवं आम सभा सामाजिक आयोजनो, मुस्लिम समूह के धार्मिक आयोजन हेतु उपयोग में लिया जाता रहा है। अप्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे स्थल के संबंध में सभी ग्रामवासियों के समक्ष दिनांक 08.04.2016 को एक लिखावट ग्राम के मौजीत व्यक्तियों के साथ बैठक कर लिखी जिस पर प्रार्थी अप्रार्थीगण के लोगो द्वारा लिखा गया कि उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की है एवं सार्वजनिक स्थल के रूप में भविष्य में उपयोग आती रहेगी। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा कर निर्माण करवाने बाबत आमादा होने पर ग्रामवासियों द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदया जमवारामगढ को शिकायत करने पर श्री दिनेश शर्मा पंचायत प्रसार अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ द्वारा जांच करवायी गयी जिसमें विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में स्वतः ही प्रतीत होता है कि पट्टा बिना प्रकिया अपनाये ही जारी किया गया है, जो अवैध व निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे स्थल पर ग्राम पंचायत मद से सार्वजनिक स्थल होने के कारण सीमेंटेड रोड राजकीय खर्चे से किया गया है, जिसका रिकॉर्ड भी ग्राम पंचायत ताला में मौजूद है। यह है कि अप्रार्थी के पिता का उक्त स्थल पर कभी कब्जा नहीं रहा एवं पट्टे हेतु अप्रार्थी द्वारा पंचायत राज अधिनियम के नियमों के अनुसार कोई आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही ग्राम पंचायत द्वारा विधि के सिद्वांतो की पालना की गई है। इस कारण पट्टा निरस्त किये जाने काबिल है। जारी आबादी भूमि विकय विलेख पट्टा पर दर्ज नहीं है। इस कारण जांच रिपोर्ट के आधार पर भी पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय हाजा द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय जमवारामगढ से निगरानीधीन पट्टे की भूमि की तलब की गई मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि विवातिद भूमि/स्थल काजी चौक गैर मुमकिन आबादी में सार्वजनिक है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 का विवादित भूमि पर का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है विवादित भूमि के लगता हुआ पश्तैनी मकान है जिसमें अप्रार्थी निवास कर रहे है। ग्राम पंचायत ताला के द्वारा

निगरानीकर्ताओ की निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी सं. एक के पिता हबीब खां पुत्र छोटू खां के पक्ष में जारी मिसल संख्या 24 आदेश दिनांक 20.07.2001 द्वारा जारी पट्टा निरस्त किया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सत्यमेव जयते जयपुर (राज.)

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–एक की ओर से दौराने बहस कथन किया कि निगरानीधीन आदेश पंचायती राज के नियमों की पूर्ण रूप से पालना करते हुए पारित कर नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के हक में निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के पट्टा संख्या 9 की सीमाओं के पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में महबूब का मकान व उत्तर में स्वयं का पुख्ता मकान, दक्षिण में आम रास्ता पक्की सडक है। निगरानीकर्ता का कथन गलत है कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर सामाजिक कार्य होते है एव ग्रामवासियों के मवेशी बांधे जाते थे। विवादित पट्टा संख्या 9 ग्राम पंचायत ताला के तत्कालीन सरपंच द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता श्री हबीब खां को तत्कालीन सरपंच द्वारा उच्च बोली लगाने के कारण ग्राम पंचायत विधिसम्मत पंचायत राज नियमों की धारा 150 व 152 के अनुसार विक्रय किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने मकान के दक्षिण दिशा में आवंटित प्लाट के उपयोग के लिए चबूतरा बना रखा था जिसे अप्रार्थी संख्या 1 का परिवार काम में लेता था जिसे निगरानीकर्ता संख्या 1 ने उक्त चबूतरे पर सीमेन्ट व कंकरीट डलवा कर सी.सी. रोड बनवा दी। अप्रार्थी संख्या 1 ही विवादित भूमि के एकमात्र मालिक, स्वामी व काबिज है। माननीय न्यायालय में निगरानीकर्ताओं द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 को परेशान करने के लिए अवैध निगरानी पेश की गई है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से ग्राम पंचायत ताला के निर्णय/आदेश दिनांक 20.07.2001 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के हक में जारी पट्टा संख्या 09 को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार एवं गैर निगरानीकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ताला, पंचायत समिति जमवारामगढ से प्राप्त पत्र अनुसार निगरानीधीन पट्टे से संबंधित मूल पट्टा पत्रावली अनुपलब्ध होना बताया है। ऐसी स्थिति में निगरानी का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर ही किया जाना न्योयोचित है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की दलील है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत राज नियमों की पालना नहीं की गई है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को कब्जा निगरानीधीन भूमि पर नहीं है एवं पट्टे की भूमि सार्वजनिक है।

अप्रार्थी/गैर निगरानीकार संख्या 1 का कब्जा निगरानीधीन भूमि पर है। पंचायत प्रसार अधिकारी व विकास अधिकारी पं.स. जमवारामगढ ने भी अपनी रिपोर्ट में विवादित भूमि को सार्वजनिक स्थान योग्य होना बताया गया है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पत्रांक 1868 दिनांक 01.08.2018 की मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि काजी चौक सार्वजनिक आबादी भूमि है तथा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ एवं पंचायत प्रसार अधिकारी जमवारामगढ की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति एवं रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूखण्ड प्रतापगढ सडक रास्ते से बनी सी.सी. रोड जो कि दरगाह जाने का रास्ता जो सार्वजनिक चौक से लगता हुआ है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि निगरानीधीन पट्टा बिल्डिंग लाईन से बाहर है, ऐसी स्थिति में पट्टा बहाल रखा जाता है तो मौके पर बिल्डिंग लाईन प्रभावित होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ताला द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के हक में विवादित भूमि का जो पट्टा जारी किया गया है, वह न्यायसंगत नहीं है।

अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ताला पंचायत समिति जमवारामगढ द्वारा मिसल संख्या 24 से आदेश दिनांक 20.07.2001 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता हबीब खां पुत्र छोटू खां जाति मुसलमान, निवासी ग्राम पंचायत ताला, तहसील जमवारामगढ के हक में जारी पट्टा 09 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत ताला को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)
अति. कलक्टर–प्रथम
जयपुर

(पुखराज सेन)
अति. जिला कलक्टर-प्रथम
जयपुर